रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235135 CG-DL-E-13042022-235135

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

No. 196]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 12 अप्रैल. 2022

सं. 710/1(एम)/1.—कम्पनी सचिव विनियम, 1982 में और संशोधन करने के लिए कुछ विनियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 39 की उप—धारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ बनाने का प्रस्ताव करती है, एतद्द्वारा कथित अधिनियम की धारा 39 की उप—धारा (3) के अंतर्गत अपेक्षित ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिन्हें इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदे पर विचार इस अधिसूचना वाले आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किया जाएगा;

कथित मसौदा विनियमों के संबंध में आपत्तियां या सुझाव सिचव, भारतीय कंपनी सिचव संस्थान, आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 को संबोधित किये जा सकते हैं;

कथित मसौदा विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्देशित अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियां या सुझाव पर ही परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

2622 GI/2022 (1)

मसौदा विनियम

- 1. (1) ये विनियम कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2022 कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये भारत के राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि पर लागू होगें।
- 2. कम्पनी सचिव विनियम, 1982 (यहां के बाद प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित) में -
 - (i) विनियम 88 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"88 परिषद की बैठकें –

परिषद प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें आयोजित करेगी जिसमें परिषद द्वारा निर्धारित ऐसे समय एवं स्थान पर (इलेक्ट्रॉनिक मोड सिहत) अधिकतम एक सौ बीस दिनों के अंतराल के बीच लगातार दो बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।"

बशर्तें कि यदि परिषद तिथि या स्थान (इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित) निर्धारित नहीं करती या परिस्थितियों को ठीक नहीं करती है, तो अध्यक्ष ऐसी बैठकें निर्धारित कर सकते हैं।

- (ii) विनियम 90 के उप—विनियम (1) में शब्द ''पंजीकृत पता'' के बाद शब्द ''संस्थान के रिकार्ड के अनुसार ई—मेल पता'' जोड़ा जाएगा;
- (iii) विनियम 92 में शब्द ''सदस्य'' शब्द ''संख्या'' के स्थान पर प्रतिस्थापित करना है;
- (iv) विनियम 93 के उप-विनियम (2) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः
 - "(2) यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है तो उसे अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और स्थान पर या यदि उस दिन राष्ट्रीय अवकाश है तो अगले दिन जो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, उसी समय एवं स्थान पर अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा"।
- (v) विनियम 96 में शब्द "अगली बैठक", के बाद शब्द "अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि बैठक की कार्यवाही सही ढंग से दर्ज की गई है। अध्यक्ष के पास ऐसे मामले जो उनकी राय में किसी भी व्यक्ति के लिए अपवादात्मक हैं या माने जा सकते है, उन्हें कार्यवृत्त से बाहर करने का पूर्व विवेकाधिकार हैं" जोड़ा जाएगा।
- (vi) विनियम 105ए के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"105ए बोर्ड का गठन –

- (1) परिषद (क) सचिवीय मानक बोर्ड और (ख) लेखा परीक्षा मानक बोर्ड जैसा कि वह परिषद द्वारा सौंपे गये कार्यों को करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, का गठन कर सकती है।
- (2) उप—विनियम (1) के अंतर्गत गठित बोर्ड (1) परिषद के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देष के अधीन काम करेगा और इसमें आईसीएसआई के सदस्य जो रोजगार में या प्रैक्टिस में हों और परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार नियामक प्राधिकरणों के प्रतिनिधित शामिल हो सकते हैं।
- (3) कोई सदस्य जिसका किसी भी ऐसे मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक हित है, जिसे बोर्ड के विचार के लिए लाया गया है, ऐसे मामले में अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा और इसी तरह के प्रकटकरण को बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

- (4) उप—विनियम (3) के लिए संदर्भित सदस्य ऐसे मामले पर बोर्ड के किसी भी विचार—विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।
 - व्याख्याः इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ''आर्थिक हित'' का मतलब है एक उचित संभावना या सराहनीय वित्तीय लाभ की उम्मीद।
- (5) विनिर्दिष्ट विवरण के अलावा, परिषद और उसकी समितियों की बैठकें, सूचना, स्थगन, पुनर्निर्धारण, कोरम, प्रस्ताव पर विचार और कार्यवृत्त बोर्ड की बैठकों के लिए लागू यथोचित परिवर्तनों सिहत होंगे''।
- (vii) विनियम 105बी के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

''105बी. शैक्षणिक बोर्ड

- (1) परिषद एक शैक्षणिक बोर्ड गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः
 - (क) अध्यक्ष, जो कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति या किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त प्रबंधन संस्थान में कुलाधिपति या कुलपति का पद धारण करने वाला होगाः
 - (ख) किसी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय में लेखाविधि, वित्त, कानून या व्यवसाय प्रबंधन में एक प्रोफेसर;
 - (ग) भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि:
 - (घ) वाणिज्य एवं उद्योग संघ द्वारा नामांकित एक व्यक्ति;
 - (ङ) संस्थान के दो प्रतिष्ठित सदस्य जिसमें से एक पेषेवर सदस्य और दूसरा रोजगार से हो:
 - (च) विधि व्यवसाय से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;
 - (छ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;
 - (ज) मानव संसाधन के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति;
 - (झ) प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक सुविधा समिति के अध्यक्ष-पदेन;
 - (ञ) आईसीएसआई विजन ग्रुप, यदि कोई हो, के अध्यक्ष, पदेन;
 - (ट) कम से कम भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नामिति;
 - (ठ) भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के एक नामिति;
 - (ड) संस्थान के सचिव पदेन;
 - (ढ़) शैक्षणिक निदेशालय के प्रमुख शैक्षणिक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। बशर्ते कि उपरोक्त सदस्यों में से किसी एक या अधिक सदस्यों के न भरे जाने या रिक्त होने से बोर्ड के गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (2) अध्यक्ष शैक्षणिक बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रित अतिथि होंगे।
- (3) शैक्षणिक बोर्ड के सदस्य उस अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो परिषद द्वारा निर्धारित की जाए और शैक्षणिक बोर्ड में किसी भी रिक्ति को परिषद द्वारा उसी तरह से भरा जाएगा जिस तरह से जिस सदस्य की रिक्ति हुई थी, उसे भर दिया गया था।
- (4) शैक्षणिक बोर्ड के सदस्य परिषद द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार ऐसे बैठक शुल्क, यात्रा, परिवहन एवं अन्य भत्तों के लिए हकदार होंगे: बशर्तें कि परिषद सदस्य किसी भी बैठक शुल्क के लिए हकदार नहीं होगा।
- (5) शैक्षणिक बोर्ड को छात्रों से संबंधित सभी शैक्षणिक कार्यकलापों की योजना एवं कार्यान्वयन का कार्य निम्नलिखित सहित सौपा जाएगाः
 - (क) आर्थिक और विनियामक परिवेश का अवलोकन;
 - (ख) पाठ्यक्रम और इसकी सामग्री को डिजाइन करना तथा समय—समय पर इसकी समीक्षा एवं संशोधन करना;
 - (ग) शिक्षा की पद्धति की डिजाइनिंग;
 - (घ) प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं उन्हें अंतिम रूप देना;
 - (ङ) परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन प्रणाली की डिजाइनिंग;
 - (च) जब भी आवश्यक हो, परिषद को अनिवार्य बदलावों की सिफारिश करना; और
 - (छ) कोई अन्य शैक्षणिक मामलाः

बशर्तें कि बोर्ड नियमित रूप से उपरोक्त की प्रभावकारिता की निगरानी करेगा और जब भी आवश्यक हो, परिषद को जरूरी परिवर्तनों की सिफारिश करेगा।

बशर्तें यह भी कि शैक्षणिक बोर्ड के संदर्भ की षतों में परिषद द्वारा निर्धारित कोई अन्य क्षेत्र शामिल हो सकता है।

- (6) जब भी आवश्यकता हो, शैक्षणिक बोर्ड बैठक आयोजित करेगा, तथापि छमाही आधार पर कम से कम एक बैठक आयोजित होगी। दो बैठकों के बीच न्यूनतम चार माह का अंतराल होगा।
- (7) शैक्षणिक बोर्ड के न्यूनतम एक तिहाई सदस्य ही कोरम का गठन करेंगे।
- (8) ऐसा सदस्य जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आर्थिक हित है, किसी भी मामले में, जिसे शैक्षणिक बोर्ड के विचारार्थ लाया जाता है, ऐसे मामले में वह अपने हित की प्रकृति का खुलासा करेगा और इस तरह का प्रकटीकरण बोर्ड की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।
- (9) उप—विनियम (8) में निर्दिष्ट सदस्य ऐसे मामले पर बोर्ड के किसी भी विचार—विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।
- (10) शैक्षणिक बोर्ड समय—समय पर परिषद द्वारा निर्धारित संस्थान के समग्र नीतिगत ढांचे और विजन के अनुसार कार्य करेगा।

- (11) शैक्षणिक बोर्ड को सौंपे गए या दिए गए कार्यों के प्रदर्षन में लिए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार परिषद को होगा।
- (12) परिषद लिखित में उन कारणों को दर्ज करेगी जहां वह शैक्षणिक बोर्ड की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है और इसका संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा करेगी।"
- (viii) विनियम 107 के उप—विनियम (2) में शब्द ''ऐसे स्थान'' के बाद शब्द ''(इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित)'' जोड़ा जाएगा।
- (ix) विनियम 107 के उप—विनियम (4) में शब्द ''और स्थान'' के बाद शब्द ''(इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित)'' जोड़ा जाएगा।
- (x) विनियम 119 के उप-विनियम (2) में निम्नलिखित संकल्प प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः
 - "(2) प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद अपने गठन के बाद अपनी पहली बैठक में और बाद के वर्षों में प्रत्येक वर्ष दिसम्बर में आयोजित होने वाली बैठक में गठन के बाद अपनी पहली बैठक की तिथि या बाद के वर्ष में 19 जनवरी जैसा भी मामला हो से प्रारंभ अविध से अगले वर्ष 18 जनवरी तक की अविध के लिए एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव एवं एक कोषाध्यक्ष को पद धारण करने के लिए चुनेगी और यदि बीच में उनमें से कोई भी पद खाली हो जाता है तो क्षेत्रीय परिषद वर्ष की शेष अविध के लिए पद धारण करने हेतु अपने सदस्यों में से किसी दूसरे व्यक्ति को चुनेगी।

बशर्तें कि सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी यदि क्षेत्रीय परिषद के सदस्य बने रहना चाहते हैं तो वह क्षेत्रीय परिषद के किसी भी पद हेतु पुनः निर्वाचन के लिए योग्य होंगे।

परिषद के आदेशानुसार,

आशीष मोहन, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./22/2022-23]

नोटः प्रमुख विनियम अधिसूचना आईसीएसआई नं. 710/2 (1) दिनांक 16 सितम्बर, 1982 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और निम्नलिखित के माध्यम से बाद में संशोधन हुआः

- (i) अधिसूचना सं. आईसीएसआई / 710 / 2 / एम(1) दिनांक 30 मार्च, 1984;
- (ii) अधिसूचना सं. आईसीएसआई / 710 / 2 / एम(1) दिनांक 3 मई, 1984;
- (iii) अधिसूचना सं. 710:2:एम(1) दिनांक 30 दिसम्बर, 1985;
- (iv) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(1) दिनांक 23 फरवरी, 1987;
- (v) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(1) दिनांक 9 मार्च, 1987;
- (vi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई / 710 (2) (एम) (2) दिनांक 22 अगस्त, 1988;
- (vii) अधिसूचना सं. 710(2)(एम)(2) दिनांक 23 अगस्त, 1988;
- (viii) अधिसूचना सं. 710 / 1 (एम) / 1 / 18 दिनांक 20 अगस्त, 1993 एवं 24 नवम्बर, 1993;
- (ix) अधिसूचना सं. 710 / 1(एम) / 17 दिनांक 21 फरवरी, 1995;
- (x) अधिसूचना सं. 710 / 1(एम) / 20 दिनांक 28 नवम्बर, 1996;

- (xi) अधिसूचना सं. आईसीएसआई / 710 / 2 / एम / 26 दिनांक 10 अगस्त, 2001;
- (xii) अधिसूचना सं. 710 / 1 / (एम) / 1 दिनांक 4 मई, 2006;
- (xiii) अधिसूचना सं. 710/1/(एम)/1 दिनांक 26 जून, 2006;
- (xiv) अधिसूचना सं. 531:विधिक:710/1(एम)/1 दिनांक 26 जुलाई, 2010;
- (xv) अधिसूचना सं. 710 / 1(एम) / 2 दिनांक 4 जून, 2012;
- (xvi) अधिसूचना सं. 710 / 1(एम) / 1 दिनांक 1 अप्रैल, 2014;
- (xvii) अधिसूचना सं. 710 / 1(एम) / 1 दिनांक 3 फरवरी, 2020

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2022

No. 710/1(M)/1.— The following draft of certain regulations, further to amend the Company Secretaries Regulations, 1982, which the Council of the Institute of Company Secretaries of India proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), and with the prior approval of the Central Government, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 39 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing this notification are made available to the public;

Objection or suggestion in respect of the said draft regulations, may be addressed to the Secretary, the Institute of Company Secretaries of India, ICSI House, 22, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi 110003;

The objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Council.

DRAFT REGULATIONS

- 1. (1) These regulations may be called the Company Secretaries (Amendment) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Gazette of India.
- 2. In the Company Secretaries Regulations, 1982 (hereinafter referred as principal regulations),-
 - (i) For Regulation 88, the following shall be substituted, namely:

****88. Meetings of the Council. –**

The Council shall hold at least four Meetings in each Calendar Year with a maximum interval of one hundred and twenty days between any two consecutive Meetings at such time and place (including electronic mode) as the Council may determine."

Provided that if the Council does not fix the date or place (including electronic mode) or the circumstances so warrant, the President may fix such meetings.

- (ii) In sub-regulation (1) of Regulation 90, after the words, "the registered address", the words, "or e-mail address as per the records of the Institute" shall be inserted;
- (iii) In Regulation 92, the word, "member", to be substituted in place of the word, "number",

- (iv) For sub-regulation (2) of Regulation 93, the following shall be substituted, namely:-
 - "(2) If a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting the same shall be adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or, if that day is a National Holiday, to the next succeeding day which is not a National Holiday, at the same time and place. If there is no Quorum at the adjourned Meeting also, the Meeting shall stand cancelled."
- (v) In Regulation 96, after the words, "next meeting", the words, "The Chairman shall ensure that the proceedings of the Meeting are correctly recorded. The Chairman has absolute discretion to exclude from the Minutes, matters which in his opinion are or could reasonably be regarded as defamatory of any person." shall be inserted.
- (vi) For Regulation 105A, the following shall be substituted, namely:

"105A. Constitution of Boards.-

- (1) The Council may constitute (a) the Secretarial Standards Board and (b) the Auditing Standards Board as it may deem necessary for the purposes of carrying out such functions as may be assigned by the Council.
- (2) Boards constituted under sub-regulation (1) shall function under the supervision, control and direction of the Council and may comprise of members of the ICSI either in employment or in practice and representatives of such regulatory authorities as may be determined by the Council.
- (3) A member who has any pecuniary interest, direct or indirect in any such matter which is brought up for consideration of the Board shall disclose the nature of his interest in such matter and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Board.
- (4) The member referred to sub-regulation (3) shall not take part in any deliberation or decision of the Board on such matter.
 - Explanation.- For the purposes of this regulation, "pecuniary interest" means a reasonable likelihood or expectation of appreciable financial gain.
- `(5) Except provided specifically, the provisions in respect of meetings of the Council and its Committees, notice, adjournment, rescheduling, quorum, consideration of resolution and minutes shall be mutatis mutandis applicable to the meetings of the Boards."
- (vii) For Regulation 105B, the following shall be substituted, namely:

"105B. Academic Board.-

- (1) The Council shall constitute an Academic Board consisting of the following members, namely:-
 - (a) a Chairperson, who shall be a person of eminence or holding or has held the office of Chancellor or Vice-Chancellor in any University or deemed University or any recognized Management Institute;
 - (b) one professor in accountancy, finance, law or business management in any University or deemed University;
 - (c) one representative of the Ministry of Corporate Affairs not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India;
 - (d) one person to be nominated by the Chambers of Commerce and Industry;

- (e) two eminent members of the Institute, out of which one shall be practising member and another from employment;
- (f) one eminent person from the legal profession;
- (g) one eminent person from the field of information technology;
- (h) one eminent person from the field of human Resources;
- (i) Chairman of Training and Educational Facilities Committee -ex-officio;
- (j) Chairman of the ICSI Vision Group, if any, -ex-officio;
- (k) A nominee of University Grant Commission not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India;
- (l) A nominee of All India Council for Technical Education not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India;
- (m) Secretary of the Institute -ex-officio; and
- (n) The Head of the Directorate of Academics shall be the member Secretary to the Academic Board.

Provided that, non-filling or vacancy of any one or more of the aforesaid members shall not affect the constitution of the Board.

- (2) The President shall be the special invitee in the meetings of the Academic Board.
- (3) The members of the Academic Board shall hold office for such term as may be determined by the Council and any vacancy in the Academic Board shall be filled by the Council in the same manner as the member whose vacancy occurred was filled.
- (4) The members of the Academic Board shall be entitled to such sitting fee, travelling, conveyance and other allowances as may be determined by the Council:

Provided that Council Member shall not be entitled for any sitting fee.

- (5) The Academic Board shall be entrusted with the task of planning and implementation of all academic activities related to students including:-
 - (a) scanning of the economic and regulatory environment;
 - (b) designing the syllabus and its contents and periodical review and revision thereof;
 - (c) designing mode of education;
 - (d) assessing and finalisation of the training requirements;
 - (e) designing the mode of examination and evaluation system;
 - (f) recommending necessary changes to the Council, as and when required; and
 - (g) any other related academic matter:

Provided that the Board shall regularly monitor the effectiveness of the above and recommend necessary changes to the Council, as and when required.

Provided further that the terms of reference of the Academic Board may include any other area as may be determined by the Council.

- (6) The Academic Board shall meet as and when required, however, at least one meeting shall be held on half yearly basis. There shall be gap of at least four months between two meetings.
- (7) Not less than one third of members of the Academic Board shall constitute the quorum.
- (8) A member who has any pecuniary interest, direct or indirect, in any matter which is brought up for consideration of the Academic Board, shall disclose the nature of his interest in such matter and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Board.
- (9) The member referred to in sub-regulation (8), shall not take any part in any deliberation or decision of the Board on such matter.
- (10) The Academic Board shall work as per the overall policy framework and vision of the Institute as decided by the Council from time to time.
- (11) The Council shall have the power to review any decision taken by the Academic Board in the performance of functions assigned or delegated to it.
- (12) The Council shall record the reasons in writing where it does not accept any recommendation of the Academic Board and shall disclose the same in the Annual Report of the Institute."
- (viii) In sub-regulation (2) of Regulation 107, after the words, "such place", the words, "(including electronic mode)" shall be inserted;
- (ix) In sub-regulation (4) of Regulation 107, after the words, "and place", the words, "(including electronic mode)" shall be inserted;
- (x) For sub-regulation (2) of Regulation 119, the following regulation shall be substituted, namely:
 - "(2) Every Regional Council shall at its first meeting held after its constitution and in subsequent years at a meeting to be held in December of every year elect from amongst its members a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Treasurer thereof to hold office for a period commencing from the date of its first meeting after constitution or from 19th January of the subsequent year as the case may be, till the 18th January of the next year and so often as any of those offices become vacant, the Regional Council shall elect another person from amongst its members to hold the office for the remaining period of a year.

Provided that the retiring office bearers shall be eligible for re-election to any of the offices of the Regional Council if they continue to be members of the Regional Council."

By Order of the Council, ASISH MOHAN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./22/2022-23]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide Notification ICSI No.710/2 (1), dated the 16th September, 1982 and subsequently amended vide:

- (i) Notification No. ICSI/710/2/M(1) dated the 30th March, 1984;
- (ii) Notification No. ICSI/710/2/M(1) dated the 3rd May, 1984;
- (iii) Notification No. 710:2:(M)(1) dated the 30th December, 1985;
- (iv) Notification No. 710(2)(M)(1) dated the 23rd February, 1987;

- (v) Notification No. 710(2)(M)(1) dated the 9th March, 1987;
- (vi) Notification No. ICSI/710(2)(M)(2) dated the 22nd August, 1988;
- (vii) Notification No. 710(2)(M)(2) dated the 23rd August, 1988;
- (viii) Notification No. 710/1(M)/1/18 dated the 20th August, 1993 and 24th November, 1993;
- (ix) Notification No.710/1(M)/17 dated the 21st February, 1995;
- (x) Notification No.710/1(M)/20 dated the 28th November, 1996;
- (xi) Notification No. ICSI/710/2/M/26 dated the 10th August, 2001;
- (xii) Notification No.710/1(M)/1 dated the 4th May, 2006;
- (xiii) Notification No.710/1/(M)/1dated the 26th June, 2006;
- (xiv) Notification No.531:legal:710/1(M)/1 dated the 26th July, 2010;
- (xv) Notification No.710/1(M)/2 dated the 4th June, 2012;
- (xvi) Notification No.710/1(M)/1 dated the 1st April, 2014;
- (xvii) Notification No.710/1(M)/1 dated the 3rd February, 2020.